

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़, जिला-अनूपगढ़ (राज.)

अनवान

हरबन्ससिंह बनाम् चमेलसिंह

प्रकरण संख्या- 91 / 2024

स्थगन प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा- 212 आर.टी.ए.

जी.सी.एम.एस नं.-2024 / 228

आदेश तारीख	आदेश का विवरण गय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर	आदेश की पालना में की गई कार्यवाही
07-10-2024	<p>आज यह पत्रावली प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. के तहत प्रस्तुत करने पर पेश हुई। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जावे। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया जावे।</p> <p>वकील प्रार्थीगण के प्रार्थना-पत्र के सम्बन्ध में एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया तो प्रकरण प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीया के पक्ष का प्रतीत होता है तथा अपूर्ण्य क्षति प्रार्थी को होने की संभावना है। अतः अप्रार्थीगण को आगामी तारीख पेशीं तक जरिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वह तहसील अनूपगढ़ की वादग्रस्त कृषि भूमि वाके चक-4 पी. जी.एम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा नं.-14 का पत्थर नं.-292/453 का किला नं.-1/1 ता 25/3 कुल भूमि 6.200 हैक्टर कृषि भूमि पर आगामी तारीख पेशीं तक प्रार्थी के हिस्से तक रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाकर रखें।</p> <p>सम्बन्धित को तहरीर/सूचना जारी हो। वकील प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण की तलबी हेतु तलवाना नोटिस रजि. ए. डी. के पेश करे। बहस हेतु अवसर मागने पर एतराज होने पर यह स्थगन आदेश निरस्त करने पर विचार किया जा सकेगा। रजि. ए.डी. नोटिस पेश नहीं करने की स्थिति में न्यायालय के द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 5 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम की धारा 63 (1) के तहत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाकर अस्थायी निषेधाज्ञा आगामी तारीख पेशी पर निरस्त मानी जावेगी। पत्रावली आयंदा दिनांक-30.10.2024 को पेश हो।</p> <p>SL 07.10.24 सुरेश राव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी अनूपगढ़</p>	



आदेश की  
में क  
कार्यवाही

आदेश तारीख

आदेश का विवरण गय अधिकारी के लघु हस्ताक्षर

30/1/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप  
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 4/2/24 को पेश हो।

4/2/24

पत्रावली प्रस्तुत पकीक पराभाप उफे अग्रणी के नोटिफ लासिक  
Rपेहि अग्रणी वकील अग्रणी के नोटिफ लासिक  
Rपेहि पेश के अन्वया CPC के अन्वयानुसार O.R.5 के  
तहत T.I. ति (स) (कमी) पत्रावली दिनांक 19/2/24  
को पेश हो।

19/2/24

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप  
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/2/25 को पेश हो।

24/2/25

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप  
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 28/2/25 को पेश हो।

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप  
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 24/3/25 को पेश हो।

24/3/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। आज आभभाषक सघ द्वारा काय स्थगित रखा है।  
अतः पत्रावली आयन्दा दिनांक 8/5/25 को प्रस्तुत हो।

न्यायालय की आज्ञा से  
टी.डी.  
उप जिला न्यायालय

8/5/25

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप  
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक 17/6/25 को पेश हो।

17/6/25

पत्रावली प्रस्तुत हुई। पूर्व आदेशों की  
पालना के अन्वय दिनांक 24/7/25  
को पेश हो।

२१/१२/२५ पत्रावली पत्रद्वारा बडील हाकी  
इतिवत्। वास्तु पत्रावली तिमां  
५/१/२५ को पेश था।

५/१/२५ पत्रावली पत्रद्वारा वास्तु पत्रावली  
तिमां ११/१/२५ को पेश था।

११/२५

पत्रावली प्रस्तुत/वादी व प्रतिवादी वकील उप  
श्रीमान् P.O. साहब अन्य कार्य में व्यस्त है।  
अतः पत्रावली आईन्दा दिनांक ११/१/२५  
को पेश हो।

६/१०/२५ अतः यह पत्रावली हाकी वारा  
हा उपर पेश करने पर पेशी  
मे की गयी कूल वाद ना  
विस्तार देन के कारण इस  
हा उपर २१२ RTA का जज  
करे को अतिवत् गद्य रद्या।  
अतः हा उपर २१२ RTA  
वकी कूल कोरिग गिया  
जहा ये पत्रावली निपत्रावली  
वाकिवत् कवट कोरु रदी  
नकल से उप था।

सुरेश सेवक  
उपखण्ड अधिकारी  
अनूपगढ़